न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/237
मिसल नम्बर– 74 / 2024

1.प्रहलाद कुमार पुत्र भंवरलाल
2.इन्द्रा देवी पत्नी प्रहलाद कुमार निवासीगण 5 जे 69 महावीर नगर तृतीय कोटा
प्रार्थी।

बनाम

1.धर्मेन्द्र उर्फ संजय पुत्र प्रहलाद कुमार
2.श्रीमती मनीषा पहाडिया पत्नी धर्मेन्द्र उर्फ संजय निवासी 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा
3.विकास कुमार पुत्र प्रहलाद कुमार निवासी 131 के.वी. जीएसएस कॉलोनी क्वॉटर नं0 4 देवली मॉझी जिला कोटा
4.आशा कुमारी पुत्री प्रहलाद कुमार निवासी नं0 1 ई 27 रंगबाड़ी योजना कोटा
अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 15/9/25

उपस्थितिः–

1.श्री संजय जायसवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री प्रेमशंकर नावर अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1, 2
3.श्री वैभव शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 3, 4

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा के स्थाई निवासी है एवं सिनियर सिटिजन है तथा शांति प्रिय नागरिक है यह कि प्रार्थीगण की स्वयं की मिलकियत के दो मकान जो कमशः 5 जे 69 महावीर नगर तृतीय कोटा राज0, में स्थित है। वह प्रार्थीया कम 2 श्रीमती इन्द्रा देवी के नाम रजिस्टर्ड है एवं प्रार्थीया कम 2 की स्वयं की मिलिकियत है। इसी प्रकार कमश 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज०, में स्थित प्रार्थी कम 1 के नाम पर रजि० है। एवं प्रार्थी कम 1 की मिलिकियत है। उक्त दोनों सम्पतियो पर बाद खरीद से ही प्रार्थीगण मालिक एवं काबिज चले आ रहे है । जिसमें मकान नं० 5 जे 69 महावीर नगर तृतीय कोटा राज०, में प्रार्थीगण संयूक्त रूप से निवास करते चले आ रहे है तथा मकान नं० 5 जे 70

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

महावीर नगर तृतीय कोटा राज0, में स्थित में प्रार्थीगण किरायेदारो को रखकर उनसे प्राप्त किराये की राशि से अपना जीवन यापन करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगणों के पास स्वयं की जीवीकोपार्जन का अन्य कोई साधन उपलब्ध नही है। लगभग 5–6 वर्षों पहले प्रार्थीगण के पुत्र एवं पुत्रवधु अप्रार्थीगण आर्थिक स्थिति सही नही होने के हवाला देते हुए, प्रार्थीगणों के पास आये, एवं प्रार्थीगिणों से उनके मकानं नं0 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज०, जिसे प्रार्थीगणों ने किराये पर दिया हुआ है, में यह कहते हुए की माताजी पिताजी आपके पास दो मकानं है। तो कुछ समय के लिए हमें एक मकान में रहने का आसरा दे दीजिये अभी हमारे पास रोजगार एवं रहने की समस्या है। जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा आपत्ति जताते हुए कि यदि उक्त मकान को तुम्हे रहने को दे देगे तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा, तो अप्रार्थीगण के द्वारा गिडगिडाते हुए एवं प्राथीगणों को उनके गुजर बसर के लिये आर्थिक सहायता करने एवं नल, बिजली के बिल इत्यादि चुकाने का सम्पूर्ण भरोसा दिलाते हुए क्षमा याचना की जिस पर पुत्र एवं पुत्रवधु होने के नाते प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं० 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज०, वाले को रहने के लिए दे दिया। जब अप्रार्थीगण अच्छी तरह से रोजगार एवं रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए सक्षम हो गये, एवं कोराना काल भी समाप्त हो गया तो प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं0 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज०, को खाली करने एवं उसमें किराये दार रखने का आग्रह किया ताकि प्रार्थीगण अपना गुजर बसर कर सके, एवं नल, बिजली के बिल जमा करा सके, तो अप्रार्थीगण के मन में बदनियती आ जाने के चलते उक्त मकान को खाली करने से साफ मना कर दिया। एवं प्रार्थीगणों साथ गाली– गलौच, करने लग गये, एवं मारपीट पर उतारू हो गये। तथा उक्त मकान में ना तो किसी किराये रखने देते हे, और ना ही स्वयं ही निकलते है, बल्कि अप्रार्थी क्रम 2 बार–बार प्रार्थी क्रम 1 के सामने साडी खोलकर आ जाती है कि तुम्हारे ऊपर बलात्कार का केस लगाऊगी, फिर देखती हूँ कैसे निकालोगे, तथा उक्त कृत्य मे अप्रार्थी क्रम 1 भी साथ देता है, इसी के चलते कुछ समय पूर्व अप्रार्थी क्रम 2 व अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नि के साथ दिसंम्बर 2021 में बुरी तरह से मारपीट की थी। जिसके चलते प्रार्थी बेहोश हो गया थां एवं होश आने के बाद थाना महावीर नगर में शिकायत की थी। जिस पर पुलिस थाना महावीर नगर ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर एस डीएम सिटी कोटा के सामने पेश किया था एवं अप्रार्थी क्रम 1 के उकसाने पर, अप्रार्थी क्रम 2 जो कि उसकी पत्नि है, व स्वयं व उसके मायके वाले भी प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नि को भी सामाजिक रूप से प्रताडित करते है। एवं मेरी पुत्री एवं पुत्र के ऊपर गलत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने व नोकरी से निकलवाने की धमकी देते है। प्रार्थीगण सीनियर सीटिजन व्यक्ति है, एवं प्रार्थी क्रम 1 टी0 बी० का मरीज है, एवं कैंसर की गिठान भी हो रही है, तथा अप्रार्थीगण के द्वारा ना तो प्रार्थीगण को जीवन यापन के लिए किसी प्रकार की आर्थिक मदद की जाती है। और ना ही किसी किरायेदार को रखने दिया जाता है। बल्कि अप्रार्थीगण नल एवं लाईट के बिल के पैसे भी हमसे नकद लेकर जमा

उपखण्ड अधिकारी

कराते है। जबकि प्रार्थीगणों के पास एक मात्र आय का स्त्रोत उक्त मकान नं0 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज0, है, जिसमें किरायेदार रख कर प्रार्थीगण अपना जीवन यापन कर सकते है। किंतु अप्रार्थीगण ऐसा नही होने देना चाहते है, बल्कि प्रार्थीगणों को आये दिन यातनाएं देकर उनके मरने का इंतजार कर रहे है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वरिष्ट नागरिको का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने अधिकारों, जीवन, सम्पति, की सुरक्षा कराये जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी कम 1 केरियर पांइन्ट में सर्विस करता है। जिससे वह आसानी से प्रार्थीगणों को उनके जीवन यापन के लिए समुचित राशि प्रदान कर सकता हैं । जिससे वह अपने परिवार के लिए रहने का इंतजाम कर सकता है। किंतु जबरन प्रार्थीगणो की बीमारी एवं असहाय अवस्था का लाभ उठाते हुए मकान नं० 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज0, पर कब्जा करना चाहता है। जिसका उसे या उसकी पत्नि अप्रार्थी कम 2 या किसी दिगर व्यक्ति को कानून कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलब फरमातें हुए उन्हें प्रार्थीगणों को उनके जीवनयापन चिकित्सा, रख रखाव, इत्यादि के लिए प्रतिमाह जो भी मिल्कियत वाले मकान नं० 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज०, से बेदखल किये जाने एवं प्रार्थीगणों के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट एवं गाली–गलौच एवं हिंसा इत्यादि नही करने के लिए पांबद किये जाने के आदेश फरमायें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो वो दी जाये ।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मकान नं. 5 जे 69 व म. नं. 5 जे 70 प्रार्थीगण की मिल्कियती नही है, उक्त मकान दादाजी द्वारा दी गयी राशि से क्रय किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा छावनी रामचन्द्रपुरा के मकान को अप्रार्थी क्रम–1 व 2 से कपट पूर्ण आशय से खाली करवाना चाहते है, इसलिए अप्रार्थी क्रम–1 व 2 को अपने झांसे में लेकर अप्रार्थी क्रम–1 से कहा कि अकेला क्यों रहता है, हमारे साथ आकर रह, इसी कारण कोरोना काल में अप्रार्थी क्रम–1 को महावीर नगर स्थित मकान में निवास करने लगा। अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा लगातार नियमित रूप से नल बिजली के बिल की राशि अदा की जाती रही है । उक्त राशि कोरोना काल में भी अदा की जाती रही है, जबकि अप्रार्थी क्रम–1 पूर्णतया बेरोजगार था । असत्य कथन वर्णित किए गए है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध असत्य तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त प्रार्थना पत्र में वास्तविक तथ्यों को प्रकट नही किया गया है, बदनियती पूर्वक अप्रार्थी को घर से निकालने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज फरमाया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी कम–1 पूर्व में जे.के. फैक्ट्री में कार्यरत थे, लेकिन वर्ष 1997 में .जे. के. फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण से प्रार्थी क्रम–1 बेरोजगार हो गये थे, उक्त समय अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजदूरी करने का आश्वासन दियां एवं अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी

क्रम–1 कोरियर का काम करने लगा, इस प्रकार जो भी आय होती थी, वह अपने माता पिता को सुपुर्द कर दी जाती थी, जिससे कि परिवार का घर चलता था। काफी समय तक तो प्रार्थी क्रम–1 मानसिक अवसाद में रहे क्योंकि नौकरी करते समय प्रार्थी क्रम–1 को नौकरी से निकाल दिया गया था, प्राथी क्रम–1 के समक्ष रोजगार का कोई विकल्प नही रहा था, ऐसे समय में भी अप्रार्थी क्रम–1 ने हिम्मत नही हारी, पिता का सहारा बनकर गृहस्थी चलाने में मदद की तत्पश्चात् प्रार्थी क्रम–1 द्वारा चक्की लगाकर आटा पिसने का कार्य किया जाने लगा उक्त कार्य भी अप्रार्थी क्रम–1 जब भी कोरियर के काम से फ्री होता तब अपने पिता की पूरी पुरी मदद करता, प्रार्थी क्रम–1 दिन में चक्की चलाता तथा अप्रार्थी कम–1 कोरियर के काम से फ्री होकर शाम को घर आने के पश्चात रात के 12–1 बजे तक चक्की चलाकर पिता की पूरी पूरी मदद करता क्योंकि अप्रार्थी क्रम–1 के बहिन भाई, अप्रार्थी क्रम–3 व 4 छोटे थे, उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान नही पडे, इसी कारण से उक्त छोटे भाई बहिनो को उक्त परेशानी से दूर रखा एवं विपरीत परिस्थिति में भी अप्रार्थी क्रम–1 ने हिम्मत नही हारी तथा पिता को भी हिम्मत दी अप्रार्थी क्रम–1 व प्राथी क्रम–1 द्वारा दोनो की संयुक्त आय से महावीर नगर तृतीय, कोटा में स्थित मकान नं. 5 जे 69 व 5 जे 70, में प्रथम मंजिल का सम्पूर्ण निर्माण किया गया, जिससे कि प्रारथी क्रम–1 की आय किरायेदारी के आधार पर हो तथा गृहस्थी चलाने में मदद मिले। प्रार्थी क्रम–1 तथा अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा संयूक्त आय से मकान नं. 5 जे 69 एवं 5 जे 70 का निर्माण दुसरी मंजिल का किया गया, प्राथी कम–1 का स्वास्थ्य खराब होने के कारण से अप्रार्थी क्रम 1 पर अधिक जिस्मेदारी होने लगी, इसी कारण अप्रार्थी कम–1 ने प्रार्थी क्रम 1 के नाम से 2 बार लोन लेकर निर्माण कार्य भी करवाया, जिसकी किश्तो की अदायगी भी नगद रूप से अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा प्रार्थी क्रम 1 को आदा की जाती रही है । इस प्रकार प्रार्थी क्रम–1 व अप्राथी क्रम–1 की संयुक्त आय से ही मकान नं. 5 जे 69, 5 जे 70 सम्पूर्ण रूप से निर्मित हो पाया है। मकान नं. 5 जे 69 एवं 5 जे 70 प्रार्थी क्रम–1 द्वारा क्रय किये जाते समय अप्रार्थी कम–1 के दादाजी द्वारा सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग उंक्त दोनो मकानो को क्रय करने के लिए किया गया था, तथा दादाजी द्वारा यह कहा गया था कि एक मकान बड़े बेटे का रहेगा तथा दूसरा मकान छोटे बेटे का रहेगा तथा दादाजी द्वारा प्रार्थी क्रम–1 को यह भी हिदायत दी गयी थी कि उक्त दोनो मकानो को बेचान नही करना उक्त दोनो मकानो को दोनो बेटो को ही सूपूर्द करना, इसी काराण अप्रार्थी क्रम–1 के द्वारा भी जितनी भी आय होती थी वह मकान निर्माण में लगाता रहा है। अप्रार्थी कम–1 का विवाह वर्ष 2009 में अप्रार्थी कम–2 से सम्पन्न हुआ था, उक्त विवाह के समय भी प्रार्थी क्रम 1 द्वारा लोन लिया गया था, उक्त ऋण की किश्तो की अदागयी भी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा नगद रूप से प्रार्थी क्रम–1 को अदा की जाती रही है। अप्रार्थी क्रम–1 व प्रार्थी कम–1 द्वारा अप्रार्थी क्रम–4 का विवाह बडी धूमधांम से किया गया, मार्केट से कुछ कर्जा व लोन भी लिया गया, जिसकी अदायगी भी प्रार्थी क्रम 1 व अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा की गयी, अप्रार्थी कम–1 शुरू से ही परिवार के प्रति समर्पित बड़ा पूत्र होने के कारण से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चला आ रहा है। विवाह के कुछ समय पश्चात अप्रार्थी कम–4 की नौकरी लग गयी, वर्तमान में अप्रार्थी कम–4 तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर डाबी बूंदी में कार्यरत है एवं अप्रार्थी कम–4 का पति भी शारारीरिक अध्यापक है, दोनो की गृहस्थी प्रेम पूर्वक चलती रही, लेकिन विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही दोनो पति पत्नी में अनबन हो जाने के कारण से अप्रारथी कम–4 महावीर नगर कोटा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के साथ निवास करने लगी, लगभग 7–8 वर्षों तक वैवहिक मतभेद होने के कारण से दोनो पति पत्नी अलग हो जाने के कारण से अप्रार्थी कम–1 द्वारा बडी मुश्कल से उक्त वैवाहिक सम्बंधो की अपने बहनोई से निवेदन करके पूर्न स्थापना की गयी है तत्पश्चात अप्रार्थी कम–4 के पति द्वारा पुनः अप्रार्थी कम–4 को अपने साथ रखने का निवेदन करने एवं अप्रार्थी कम–4 द्वारा अपना स्वयं का एक मकान रंगबाडी योजना कोटा में मकान कय किया एवं उसका पुनः निर्माण किया तत्पश्चात से दोनो पति पत्नी उक्त मकान में एक साथ निवास कर रहे है। अप्रार्थी कम–4 लगभग 8 वर्ष पूर्व से विद्युत विभाग में टेक्निशियन के पद पर वर्तमान में देवली मांझी जिला कोटा में कार्यरत है तथा अप्रार्थी कम–4 का विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व होने के पश्चात से प्रार्थी कम–1 व 2 के साथ अपनी पत्नी के साथ मकान नं. 5 जे 69, प्रथम तल पर बने हुये दो कमरो में निवास कर रहा है तथा प्रार्थी कम–1 व 2 भी मकान नं. 5 जे 69 के भूतल पर बने हुये दो कमरो में निवास कर रहे है इस प्रकार अप्रार्थी कम–3 व प्रार्थी कम–1 व 2 सेपरेट निवास कर रहे है तथा अप्रार्थी कम–1 व 2 मकान नं. 5 जे 70 के प्रथम तल पर बने हये दो कमरो में निवास कर रहे है तथा मकान नं. 5 जे 70 के भू–तल पर बने हये 2 कमरो में किरायेदार प्रार्थी कम–1 व 2 द्वारा रखे हुये है, जिससे 8,000/–रूपये प्रतिमाह अलावा नल बिजली प्रार्थी कम–1 व 2 को प्राप्त होता है तथा अप्रार्थी कम–3 नौकरी में होने से वर्तमान में अपने प्रार्थी कम–1 व 2 को 10,000/–रूपये प्रतिमाह अदा करता चला आ रहा है, साथ ही घर का सम्पुर्ण राशन भी अप्रार्थी कम–3 द्वारा डलवाया जाता है । इसी प्रकार अप्रार्थी कम –4 के दोनो बच्चो को प्रार्थी कम–1 व 2 द्वारा रखा जाता है, क्योंकि अप्रार्थी कम 4 नौकरी पर चली जाती है एवं उसका पति भी नौकरी चला जाता है, पीछे से बच्चो को संभालने की जिम्मेदारी प्रार्थी कम–1 व 2 की होती है तथा अप्रार्थी कम–4 अपने बच्चो की देखरेख के लिए प्रार्थी कम–1 व 2 को प्रतिमाह 5,000/– रूपये अदा करती है । तथा प्रार्थी कम–1 वर्तमान में गार्ड की नौकरी करते है, जिससे प्रार्थी कम–1 को 10,000/–रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रार्थीगण को अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए किसी भी प्रकार की कोई राशि की आवश्यकता ही नहीं है । महज अप्रार्थी कम–1 व 2 को परेशान करने के लिए बदयानति पूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी कम– 1 व 2 भली भांति जानते है कि अप्रार्थी कम–1 का स्थायी कार्य नही है, प्राईवेट नौकरी करके मात्र 5–7 हजार रूपये महिना बमुश्किल कमा पाता है, क्योंकि अप्रार्थी कम–1 व 2 के पुत्री यामी उम्र 6 वर्ष, पिछले 3 वर्षो से गम्भीर बीमारी से ग्रसित चली आ रही है, पुत्री को डबल निमोनिया हो जाने से बोडी में इंफेक्शन फैल जाने से लगभग डेढ माह तक

उपखण्ड अधिकारी

श्रीजी हॉस्पिटल, विज्ञान नगर कोटा में भर्ती रखा तत्पश्चात ईलाज नही हो पाने के कारण से उचित चिकित्सा प्राप्ति हेतु पुत्री यामी को जे0के0 लोन अस्पताल जयपुर में लगभग 20 दिन तक भर्ती रखकर ईलाज करवाया गया तत्पश्चात् अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी लगातार प्रतिमाह डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना पड़ता है, वर्तमान में भी पुत्री यामी पूणतः परिपक्व एवं रवस्थ नही है, जेरईलाज चल रही है । इस प्रकार अप्रार्थी कम–1 व 2 की एक पुत्री हंशिका वर्तमान में 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत है तथा छोटा पुत्र रूद्रांश उम्र 5 वर्ष भी विद्यालय में एचकेजी में अध्ययनरत है, इसलिए अप्रार्थी कम– 1 व 2 की. मासिक आय अपने पूत्र की शिक्षा में तथा पूत्री के ईलाज में ही खर्च हो जाती है, स्थायी रूप से रोजगार लगा हुआ नही है, पूर्व में केरियर पॉईन्ट में चतुर्थ श्रेणी के रूप में कार्यरत था, लेकिन मार्च 2020 से केरियर पोईन्ट द्वारा अप्रार्थी कम –1 को नौकरी से निकाल दिये जाने के पश्चात से अप्रार्थी कम–1 देनिक मजूदरी प्राप्त कर अपने परिवार की घर गृहस्थी चला रहा है। मकान नं. 5 जे 69 व 5 जे 70 में अलग अलग बिजली का लगा हुआ है, अप्रार्थी करम– 1 व 2 मकान नं. 5 जे 70 के प्रथम तल में निवास करते है, भू– तल पर किरायेदार निवास करते है, जिनका बिजली का बिल 10–यूनिट से प्रार्थी कम–1 द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा किरायेदारो के द्वारा खर्च किये जाने वाले बिजली के युनिटो को माईनस करके अप्रार्थी कम–1 द्वारा उक्त बिजली के बिल का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही अप्रार्थी कम–1 द्वारा नही बंरती गयी है। अप्राथी कम–1 के दादाजी स्व0 श्री भंवर लाल जी से विशेष स्नेह रखते थे, इसलिए अपने जीवनकाल में ही दादाजी ने यह कह दिया था कि रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा में स्थत कच्चा मकान अप्रार्थी कम–1 का ही रहेगा एवं अप्रार्थी कम–1 ही उसका मालिक एवं काबिज रहेगा तथा दादाजी का देहान्त लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुका है, दादाजी की मृत्यु के पश्चात दादी स्वर्गीय मोत्या बाई द्वारा अपने सम्पूर्ण सोने चांदी के जेवरात प्रार्थी कम–1 के पास रखे हुये थे, लगभग 2.किलो चांदी के जेवरात एवं 10 तोला सोने के जेवरात जो वर्तमान में प्रार्थी कम–1 व 2 के कब्जे में चले आ रहे है । जबकि स्वर्गीय दादी जी द्वारा प्रार्थी कम–1 को यह हिदायत दी थी कि जब अप्रार्थी कम–1 व 3 के बच्चो की शादीयां हो तो उक्त जेवरात उनकी बहओं को दे देना , लेकिन प्रार्थीगण द्वारो उक्त जेवरात आज दिनांक तक भी अप्रार्थी कम 1 व अप्रार्थी कम 3 की बहुओ को अदा नही किया। 22 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण रामचन्द्रपूरा वाले मकान को अप्रार्थी कम–1 को सुपुर्द कर महावीर नगर स्थित मकान में निवास करने हेतु चले गये थे तथा अप्रार्थी कम–1 को उक्त मकान में रहने के लिए छोड़ दिया गया था कि कहीं दादाजी द्वारा अप्रार्थी कम–1 को दिया गया मकान पर अन्य रिश्तेदार कब्जा नही कर ले, इसलिए मजबूरी में अप्रार्थी कम–1 ने अकेला रामचन्द्रपुरा में रहते हये नियमित रूप से दिन में रोजगार करते हुये शाम को महावीर नगर में पिता की मदद करने के लिए चक्की चलाने चला जाता तत्पश्चात देर रात को रामचन्द्रपुरा स्थित मकान में लौटा आता। अप्रार्थी कम–1 का विवाह वर्ष 2009 में होने के समय विवाह करने के लिए अप्रार्थी क्रम–1 को महावीर नगर स्थित

उपखण्ड अधिकारी
को

मकान में ही बुलवा लिया गया था, लगभग एक वर्ष तक विवाह के पूर्व महावीर नगर मकान में अपने माता पिता के साथ रहा तत्पश्चात विवाह होने के बाद कम–2, अप्रार्थी कम 2 से बिना किसी युक्ति युक्त कारण के लड़ाई झगडा मारपीट करने लगी तथा अप्रार्थी कम–2 के पिता से जो एक लाख रूपये उधार अप्रार्थी कम– 4 के विवाह के समय प्राप्त किये थे, उक्त राशि अदायगी के संदर्भ में प्रार्थी कम–2 अप्रार्थी कम–2 के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी साथ ही यह भी कहती रहती थी कि तेरे माता पिता ने दहेज में कुछ नही दिया है, जो यह एक लाख रूपये उधार लिये है वह दहेज के है तेरे माता पिता को बोल देना कि हम एक लाख रूपये वापस नही लौटायेगें, दहेज के रूप में रख लिये है । उक्त कारण से अप्रार्थी कम–1 द्वारा धीरे धीरे अपने ससुर जी से अप्रार्थी कम–4 की शादी में प्राप्त किये गये एक लाख रूपये चुकाये गये, जबकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि अदा करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दियां था । अगर अप्रार्थी कम–1 अपने संसुर जी को उक्त राशि एक लाख रूपये धीरे धीरे नही लौटाता तो अप्रार्थी कम–1 की गृहस्थी बिगंड भी सकती थी लेकिन फिर भी प्राथीगण द्वारा उक्त सभी कारणो को नजर अदाज कर उक्त राशि की अदायगी बदनियती पूर्वक नही की गयी है । अप्रार्थी कम–1 के विवाह के लगभग एक वर्ष पश्चात प्रार्थी कम–2 द्वारा अप्रार्थी कम–2 के साथ लडाई झगडा कर घर से निकाल दिया, इस कारण अप्रार्थी कम–1 व 2 वर्ष 2010 से स्वर्गीय दादाजी द्वारा अप्रार्थी कम–1 को दिये गये मकान में निवास करने लगे, उक्त मकान कच्चा होने के कारण से उक्त मकान में लैट्रीन बाथरूम व आगे एक कमरा अप्रार्थी कम–1 द्वारा स्वयं अर्जित आय से बनवाया गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी फैल जाने के कारण से अप्रार्थी कम–1 व 2 छावनी रामचन्द्रपुरा स्थित मकान छोड़कर महावीर नगर तृतीय स्थित मकान नं. 5 जे 70 के प्रथम तल पर निवास करने लगे तत्पश्चात से ही उक्त मकान में ही निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम–1 के छावनी रामचन्द्रपुरा स्थित मकान को अप्रार्थी कम–1 की जानकारी में लाये बिना चुपचाप से 18,00,000/–रूपये में बेचान लगभग 2 वर्ष पूर्व कर दिया और उक्त राशि भी वर्तमान में प्रार्थीगण के पास ही है, उक्त राशि में से जो कि अप्रार्थी कम –1 के हिस्से की थी दादाजी के मकान की थी जिसका कि अप्रार्थी कम–1 एकमात्र मालिक था, लेकिन उक्त राशि 18,00,000/–रूपये प्रार्थी कम–1 व 2 द्वारा हडप कर ली गयी है, अप्राथी कम–1 द्वारा उक्त राशि बार–बार मांगने के बावजूद भी अप्रार्थी कम–1 को वापस नही लौटायी जा रही है । प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम–1 व 2 के विरूद्ध असत्य मनगढंत आरोप लगाति हये अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने की. नियत से प्रस्तृत किया गया है, जबकि प्रार्थीगण को वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नही है भरण पोषण में किसी प्रकार की कमी नही है, सम्पूर्ण सुविधा का लाभ प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, समय समय पर पुत्र पुत्री द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाती रही है तथा प्रार्थी कम–1 द्वारा भी अपने सम्पूर्ण जीवन काल में प्रार्थी कम–1 की मदद करते हये कंधे से कंधा मिलाते हये सभी छोटे भाई बहिनो को बडा करते हुये उचित रिथित पर पहुँचाया है, उक्त समस्त कृत्यो को प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
को

द्वारा भूला दिया गया है अगर अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा प्राथी क्रम–1 की मदद नही की जाती गृहस्थी संभालने में सहयोग नही किया जाता, मकान बनाने में अप्रार्थी क्रम–3 व 4 को पढाने में मदद नही की जाती, शादी करने में मदद नही की जाती तो प्रार्थी क्रम–1 अकेले अपने स्तर पर कुछ भी करने की स्थिति में नही थे और अप्रार्थी क्रम–1 को प्रार्थीगण द्वारा यह सिला दिया जा रहा है, बडे बेटे होने के सम्पूर्ण दायित्व का निर्वाह करने के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 को जबरन मकान नं. 5 जे 70 से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है । प्राथीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वास्तविक तथ्य प्रकट नही किये गये है। अन्य तथ्य एवं दस्तावेजात बवक्त बहस मौखिक निवेदन कर दिये जावेंगे। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि 18,00,000/–रूपये हड़प जाने की नियत से अप्रार्थी क्रम–1 को महावीर नगर मकान नं. 5 जे 70 सें जबरन निकालना चाहते है, जिससे कि अप्रार्थी क्रम–1 प्रार्थीगण से उक्त मकान की विकय राशि 18 लाख रूपये की डिमाण्ड नही करें, उक्त कारण से ही अप्रार्थी क्रम–1 व 2 के विरूद्ध असत्य तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ,जो आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा अन्य जो भी न्यायोचित सहायता अप्रार्थी क्रम–1 व 2 के पक्ष मे हो वह भी प्रदान की जावें।

अप्रार्थीगण नं0 3 व 4 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परंतु जवाब पेश नही किया गया अतः का अवसर बंद किया गया।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के मकान के दस्तावेज, म0नं0 5 जे 70 लोन शुदा मकान की किश्तो की जमा एन.ओ.सी. आदि पेश किये। अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के परिवार के फोटो 1 लगायत 5, लाईट बिल जमा, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की पुत्री यामी के जयपुर में इलाज के बिल पेश किये।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की स्वयं की मिलकियत के दो मकान जो कमशः 5 जे 69 महावीर नगर तृतीय कोटा राज0, में स्थित है जिनमें एक मकान प्रार्थीया क्रम 2 श्रीमती इन्द्रा देवी के नाम रजिस्टर्ड है एवं प्रार्थीया क्रम 2 की स्वयं की मिलिकियत है। तथा दूसरा मकान 5 जे 70 महावीर नगर तृतीय कोटा राज०, में स्थित प्रार्थी क्रम 1 के नाम पर रजि० है एवं प्रार्थी क्रम 1 की मिलिकियत है। अप्रार्थी क्रम 2 व अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नि के साथ दिसंम्बर 2021 में बुरी तरह से मारपीट की थी। जिसके चलते प्रार्थी बेहोश हो गया थां एवं होश आने के बाद थाना महावीर नगर में शिकायत की थी। जिस पर पुलिस थाना महावीर नगर ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर एस डीएम सिटी कोटा के सामने पेश किया था। अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 प्रार्थीगण के साथ आये दिन मारपीट एवं गाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
को

गलौच करते रहते है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट (न्यायालय एडीएम सिटी कोटा में पेश किये जाने के संबंध में) प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से कथन किया गया है कि मकान नं0 5 जे 69 एवं 5 जे 70 प्रार्थीगण की मिल्कियती नही है, उक्त मकान दादाजी द्वारा दी गयी राशि से क्रय किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनकी बेरोजगारी के समय आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग किया गया है। अप्रार्थी क्रम 1 एवं प्रार्थी क्रम 1 द्वारा संयुक्त आय से मकान नं0 5 जे 69 एवं 5 जे 70 की दूसरी मंजिल का निर्माण किया गया। अप्रार्थीगण के उक्त कथनों का प्रार्थीगण की ओर से बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है जिस कारण से अप्रार्थीगण के उक्त कथन उचित प्रतीत होते है। अप्रार्थी क्रम 1 दैनिक मजदूरी करके अल्पाय में अपने तीन संतानों का लालन पालन कर रहा है। जिस कारण से अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीगण को समुचित राशि देने में सक्षम नही है। यदि अप्रार्थीगण 1 व 2 को उक्त मकान से बेदखल कर दिया गया तो अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 एवं उनकी संतानों के बेघर होने की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। प्रार्थीगण का छोटा पुत्र अप्रार्थी नं0 3 राजकीय सेवा में है। आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण अप्रार्थी नं0 3 का भी दायित्व बनता है कि वह प्रार्थीगण आर्थिक रूप से सहायता करे। मकान नं0 5 जे 70 के प्रथम तल पर अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 निवासरत है एवं भूतल को प्रार्थीगण द्वारा किराये पर देकर किराया प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली में उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा